(19) (7)

विलोपित विलोपित विलोपित

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / निगरानी- 2912/2018/मुरैना/भू.रा.

श्री रवीन्द्र पालीवाल अभि. द्वारा आज दि. 10-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 24-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

धर्म सिंह पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह आयु 28 साल जाति तोमर ठाकुर निवासी–ग्राम तुत्त का पुरा मौजा, करारी, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.)

..........~~अपीलकर्ता~~ निगरानीकर्ता

बनाम

1. गोविन्दनारायण सिंह पुत्र स्व. श्री विद्याराम आय 25 साल जाति तोमर ठाकुर, निवासी– ग्रामसिधारी का पुरा मौजा करारी तहसील जिला मुरैना म0प्र0

2. म.प्र. शासन ....~~प्रतिअपीलार्थी~~ प्रतिनिगरानीकर्तागण

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति ...
पृष्ठ क्र. 01 से 11
दिनांक 10/5/18
हस्ताक्षर व नाम

अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 539/2017–18 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 07.03.2018 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959।

श्रीमानजी,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है –

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य –

1. यहकि, निगरानीकर्ता के पक्ष में अनुविभागीय अधिकारी मुरैना म.प्र.

2018 MAY-32

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2912/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03.07.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रविन्द्र पालीवाल उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण धारा 228 का है। जिसमें आवेदक एवं अनावेदक द्वारा अस्थाई पटेल के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर कार्यवाही के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानते हुए कि आवेदक अस्थाई पटेल के पद पर नियुक्ति लगभग 3 वर्ष छः माह की है जबकि संहिता की धारा 228 में अस्थाई पटेल की नियुक्ति हेतु छः माह की अवधि तक ही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य ना होने से अग्राह्य की जाती है। उभयपक्ष नये सिरे से सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। **प्रशासकीय सदस्य**	